समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने...

समान नागरिक संहिता का तीन खंड का फाइनल प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को सौंपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सोमवार को समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने संहिता का प्रतिवेदन सौंपा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समय-सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, श्री बुधपाल सिंह, सुश्री शोभा पैठणकर एवं समिति के सदस्य सचिव श्री अजय कटेसरिया उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंपे गए प्रतिवेदन में समिति की रिपोर्ट 3 खण्डों में संकलित है। पहले खंड में समिति की अनुशंसाओं का प्रतिवेदन है और इसमें समिति ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के विभिन्न विधियों एवं प्रथाओं का विश्लेषण कर अपनी अनुशंसाएं प्रतिवेदित की है। इस खंड में 10 अध्याय है।

प्रतिवेदन का दूसरा खंड विधेयक के प्रारूप के रूप में है। समिति द्वारा प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप को मध्यप्रदेश में प्रचलित विधियों एवं नियमों के दृष्टिगत तैयार किया गया है। प्रस्तावित विधेयक के 4 भाग, 404 धाराएं एवं 7 अनुसूचियां है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सौंपे गए तीसरे खंड में जन परामर्श प्रतिवेदन है, जिसमें समिति द्वारा जिला स्तर, राज्य स्तर एवं वेबसाइट के माध्यम से किये गए व्यापक जन-परामर्श का विवरण है। समिति को 9.58 लाख से अधिक परामर्श प्राप्त हुए थे। उनका प्रश्नवार, लिंगवार एवं समुदायवार विश्लेषण इस खंड में शामिल है।

समिति ने अनुसूचित जनजातियों को समान नागरिक संहिता से बाहर रखने की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को विभिन्न व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विषयों, जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण तथा लिव-इन संबंधों से संबंधित प्रचलित व्यवस्थाओं के अध्ययन करने का दायित्व सौंपा गया था। समिति ने उक्त अनुसार मध्यप्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रारूप तैयार करने का कार्य किया है। समिति ने मूल आधार, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, विविध अनुष्ठानिक प्रथाओं को अप्रभावित रहने देना, प्रचलित रीति-रिवाजों एवं प्रथाओं का सम्मान करना एवं संवैधानिक उपबंधों एवं लोकनीति की दिशा में कार्य किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, समिति के सदस्य एवं वरिष्ठ सलाहकार श्री शत्रुघ्न सिंह एवं सदस्य श्री अनूप नायर का भी धन्यवाद ज्ञापित किया जो व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सकें।

समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन राज्य शासन के विधि विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। विधेयक के परिमार्जन एवं वरिष्ठ सचिव समिति की प्रक्रिया के बाद विधेयक मंत्रि-परिषद की स्वीकृत के बाद मानसून सत्र में ही विधानसभा में रखे जाने की संभावना है।

बिना शल्यक्रिया मुख्य धमनी का रिसाव रोका

हमीदिया अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक से 56 वर्षीय मरीज को मिला सुरक्षित उपचार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के हमीदिया अस्पताल में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से 56 वर्षीय सलीम खान की बगल की मुख्य धमनी में हुए रिसाव का सफल उपचार किया गया। एंजियोप्लास्टी और कवर्ड स्टेंट प्रत्यारोपण की सहायता से मरीज का उपचार बिना बड़ी शल्यक्रिया के किया गया। इससे मरीज को कम समय में सुरक्षित उपचार उपलब्ध हो सका।

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के रेडियोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अंकित शाह ने यह जटिल प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की एंडोवैस्कुलर तकनीक के माध्यम से धमनी के रिसाव वाले हिस्से में कवर्ड स्टेंट लगाया गया, जिससे रक्तस्राव पूरी तरह नियंत्रित हो गया। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रक्रिया तकनीकी रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है और इसके लिए विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है।

उपचार में प्रयुक्त कवर्ड स्टेंट की कीमत लगभग एक लाख 20 हजार रुपये है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीज से कोई राशि नहीं ली गई। इससे सरकारी अस्पताल में आधुनिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सुविधा का लाभ मरीज को निशुल्क मिल सका। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार भोपाल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के केवल चार विशेषज्ञ हैं, जिनमें डॉ. अंकित शाह हमीदिया अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं। इससे जटिल रक्तवाहिनी संबंधी रोगों का उपचार अब राजधानी में ही संभव हो रहा है।

उपचार में कैथ लैब, रेडियोलॉजी तथा सीटीवीएस विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्य किया। रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. लवली कौशल, कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता, सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ. प्रवीण शर्मा तथा डॉ. सागर मांडविये का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन और अधीक्षक कार्यालय ने आवश्यक उपकरण एवं सामग्री समय पर उपलब्ध कराई। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉ. कविता एन. सिंह के नेतृत्व में अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

शासकीय हाईस्कूल में निःशुल्क साइकिल वितरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः आज शासकीय हाईस्कूल आरी और ढौड़ई में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम अंतर्गत साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जनपद पंचायत माखननगर अध्यक्ष श्रीमती सावित्रीबाई परनामें जिला पंचायत सदस्य उमेश यादव जनपद उपाध्यक्ष लालचंद यादव

किसान मोर्चा के जिला महामंत्री मुकेश तिवारी मंडल अध्यक्ष विपिन यादव किसान मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष केतार चौहान अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश चौधरी जिला सोशल मीडिया संयोजक राहुल ठाकुर किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष इंद्रसिंह राजपूत अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष राममोहन अहिरवार मंडल मंत्री हीरालाल वोराशी संतोष चौहान सरपंच बनवारी यादव संस्था के प्राचार्य तुलसीराम यादव भरत मेहरा छात्र-छात्रा एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव का विरोध तेज

विधायक आरिफ मसूद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पुराना नाम बनाए रखने की मांग की

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय किए जाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। विधायक आरिफ मसूद ने सोमवार को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय का नाम यथावत रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि 38 वर्ष पुरानी शैक्षणिक संस्था की पहचान समाप्त करना उचित नहीं है। यदि सरकार वाग्देवी भोजपाल के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है तो नई शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर उसका नाम रखा जाए।

ज्ञापन में आरिफ मसूद ने कहा कि तीन जून 2026 को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्ताव में महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना बरकतउल्ला भोपाली के योगदान को कमतर बताते हुए यह उल्लेख किया गया कि उनका जीवन विदेश में बीता और भोपाल का निवासी होने के अतिरिक्त उनका कोई विशेष योगदान नहीं दिखाई देता। उन्होंने इसे महान देशभक्त का अपमान बताते हुए इसकी निंदा की।

सोमवार को गांधी मेडिकल कॉलेज में अध्यनरत एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने इंटर्न स्टाईपेंड वृद्धि को मांग को लेकर रैली निकाली।

118 फर्जी खातों से 99 लाख की छात्रवृत्ति हड़पने का मामला, बैंक प्रबंधक समेत छह आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में एमबीए विद्यार्थियों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोलकर करीब 99 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि हड़पने के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। पिछले माह एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी अब आरोपितों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। मामले में यूको बैंक की हबीबगंज शाखा की तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक प्रेमा वर्मा सहित एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट, भोपाल से जुड़े विनय मल्होत्रा, आदित्य मल्होत्रा, मनोज जैन, राम सिंह वर्मा और विनेश मेश्राम को आरोपी बनाया गया है। यूको बैंक भोपाल के डीजीएम एवं जोनल हेड लोकेश कुमार की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मार्च में प्रारंभिक जांच की थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। जांच में सामने आया है कि एक जनवरी 2020 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच एमबीए के 118 विद्यार्थियों की जानकारी और सहमति के बिना उनके नाम पर यूको बैंक की हबीबगंज शाखा में बचत खाते खोले गए। इन खातों में शासन द्वारा जारी छात्रवृत्ति की राशि जमा कराई गई, जिसे बाद में धोखाधड़ी कर निकाल लिया गया। इस घोटाले में करीब 99 लाख रुपये का गबन होने का आरोप है। सीबीआई के अनुसार, आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज और जाली हस्ताक्षरों के आधार पर खाते खुलवाए, उनमें अपने मोबाइल नंबर लिंक कराए, एटीएम कार्ड प्राप्त किए और छात्रवृत्ति की राशि निकाल ली। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक स्तर पर अनिवार्य केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे धोखाधड़ी को अंजाम देना संभव हुआ। सीबीआई अब पूरे प्रकरण में शामिल अन्य संभावित आरोपितों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

एक्सपायरी ब्रेड परोसने पर एक लाख रुपये का जुर्माना

शताब्दी एक्सप्रेस में लापरवाही पर प्रबंधक समेत जिम्मेदार कर्मचारी हटाए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नई दिल्ली से रानी कमलापति आ रही 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को समाप्त अवधि वाली ब्रेड परोसने के मामले में भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने सख्त कार्रवाई की है। निगम ने संबंधित खानपान सेवा प्रदाता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही लापरवाही सामने आने पर प्रबंधक सहित जिम्मेदार कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम के उत्तर क्षेत्र के प्रबंधक विवेक रावत ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल आर्थिक दंड तक सीमित नहीं रखी गई, बल्कि जांच में जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय हुई, उन्हें भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

निगम के अनुसार शताब्दी एक्सप्रेस के लिए भोजन नई दिल्ली से लोड किया गया था और संबंधित खानपान सेवा प्रदाता भी वहीं का है। हालांकि एजेंसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार कार्रवाई उसी सेवा प्रदाता के विरुद्ध की गई है, जिसने भोजन उपलब्ध कराया था।

विवेक रावत ने बताया कि भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुबह दो बार निरीक्षण किया जाता है। इसके अलावा रेलगाड़ी में भोजन चढ़ाने के समय भी जांच होती है। इसके बावजूद समाप्त अवधि वाली ब्रेड यात्रियों तक कैसे पहुंची, इसकी जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में किसी पैकेट की जांच में चूक होने की आशंका जताई गई है।

शनिवार को नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस के सी-4 डिब्बे में यात्रियों को नाश्ते के दौरान ऐसी ब्रेड परोसी गई, जिसके पैकेट पर उपयोग की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 अंकित थी। डिब्बे में यात्रा कर रहे लगभग 74 यात्रियों, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, ने वह ब्रेड खा ली थी। इसके बाद यात्रियों ने रेल मदद अनुप्रयोग पर शिकायत दर्ज कराई। कुछ यात्रियों ने ऑनलाइन उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

कार्यालय टूटने के बाद सड़क पर बैठे बीजेपी पार्षद

नप्र, भोपालः राजधानी के आनंद नगर में नगर निगम द्वारा कार्यालय ध्वस्त किए जाने के बाद वार्ड-62 के भाजपा पार्षद राजेश चौकसे ने सड़क पर ही अपना अस्थायी जनसुनवाई कार्यालय शुरू कर दिया है। खुले आसमान के नीचे बैठकर वे क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं और मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।

खुले आसमान के नीचे सुन रहे लोगों की समस्याएं

बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने पुलिस की मौजूदगी में सरकारी दुकानों के ऊपर बने पार्षद कार्यालय को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया था। निगम का कहना है कि निर्माण बिना वैधानिक अनुमति के किया गया था। वहीं, पार्षद राजेश चौकसे का दावा है कि कार्यालय के निर्माण के लिए उन्होंने मौखिक अनुमति ली थी। उन्होंने इससे पहले एक मंत्री पर राजनीतिक कारणों से उनका कार्यालय तुड़वाने का आरोप भी लगाया था। नगर निगम की कार्रवाई और पार्षद के आरोपों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सड़क पर संचालित हो रहे इस कार्यालय को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है।

वित्तीय अनियमितता मामले में सहायक श्रेणी-3 निलंबित

नप्र, भोपालः जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपाल में एक करोड़ 55 लाख 43 हजार 356 रुपये की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल संभाग ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक श्रेणी-3 सी. जे. जॉयसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार सी. जे. जॉयसन को आठ जून 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

CHANGE OF NAME
My old name was Kum. Rajeshwari Ram Prasad Dheeman. Written in My Marksheet. I have changed my name. My new name is now known as Smt. Rajeshwari Dhiman W/O Navneet Ram Vishwakarma. Resident H.No.122, Narayan Nagar near Barkatullah University Bhopal (M.P.)
925

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय आफिस काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल-23
क्रमांक/तक/हाईटेक-हब/2026-27/1713 भोपाल, दिनांक 13-7-2026
शुगरकेन (गन्ना) हाईटेक-हब, स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)
संशोधन-1
संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पत्र क्रमांक/तक./हाईटेक-हब/(विस्तृत)/1528 दिनांक 25.06.2026 द्वारा 'शुगरकेन हाईटेक-हब' स्थापित करने हेतु दिनांक 13.07.2026 तक आवेदन आंमत्रण किया गया था। वर्तमान में पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदन आंमत्रण की अवधि दिनांक 20.07.2026 तक बढ़ाई जाती है। अन्य विस्तृत जानकारी संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट www.chc.mpdage.org पर देखी जा सकती है।
संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र. भोपाल
जी-15582/26

-: आम-सूचना :-
(दुकान नंबर 1 स्थित चंद्रमोहन मार्केट भवन क्रमांक 43 गणेश चौक सर्राफा बाजार भोपाल के संबंध में)
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने नवउदय अग्रवाल आत्मज स्व. श्री चन्द्रमोहन अग्रवाल निवासी-मकान नंबर 43, जामा मस्जिद के पास, चौक बाजार भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक दुकान क्रमांक-1 है जो कि बहुमंजिला भवन चंद्रमोहन मार्केट के भू-तल पर निर्मित है तथा जो भवन क्रमांक 43 गणेश चौक सर्राफा बाजार, वार्ड नंबर 20 तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है तथा जिसका कुल क्षेत्रफल 33 वर्गफिट है जिसकी दिशाऐं पूर्व में-दुकान नंबर 2 नवउदय ज्वेलर्स, दिशा पश्चिम में-आकृति ज्वेलर्स की दुकान, दिशा उत्तर में-सड़क सरकारी, दिशा दक्षिण में-इसी भवन की दीवार, को क्रय करने का अनुबंध कर, बयाना राशि का भुगतान विक्रेता को कर दिया है यह कि उक्त वर्णित संपत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति हो या कहीं, दान, बंधक, गिरवी, वसीयत, हस्तांतरण, विक्रय, अनुबंध इत्यादि हो तो वह व्यक्ति अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 15 दिन के अंदर मय मूल दस्तावेज के साथ मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी तथ मेरे पक्षकार उक्त संपत्ति के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में कराने हेतु स्वतंत्र होंगे।
शोभा दुबे अधिवक्ता
ए-47, शास्त्री नगर भोपाल (म.प्र.)
मो.-8839361599, 9827097312
924

आम सूचना/सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री निशिकांत जाधव एवं श्रीमती बासबी जाधव, ग्राम-अमोनी, पटवारी हल्का नं. पुराना 14 नया 18, रा.नि.म. 02, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल स्थित कृषि भूमि के खसरा क्रमांक 467/1, कुल रकबा 0.9800 हेक्टेयर में से 0.0929 हेक्टेयर (लगभग 10,000 वर्गफुट) भूखंड के संयुक्त विधिक स्वामी हैं। उक्त संपत्ति का पंजीकरण उप-पंजीयक कार्यालय भोपाल-3 के ई-पंजीयन क्रमांक MP059712021A1217216 (दिनांक 03/03/2021) पर दर्ज है। मेरे पक्षकार इस अचल संपत्ति का शुद्ध व भार-मुक्त स्वत्व के साथ क्रेता श्रीमती निशा संकेत घांडे के पक्ष में विक्रय (Sale) करने जा रहे हैं, जिसका सौदा/वार्ता प्रक्रियाधीन है। दस्तावेज गुमशुदगी सूचनाः उक्त संपत्ति के पंजीकृत विक्रय पत्र (Sale Deed) की "मूल प्रति" (Original Copy) मेरे पक्षकारों के आधिपत्य से कहीं गुम हो गई है, जिसकी पुलिस थाना भोपाल में रिपोर्ट दर्ज है। यह मूल विलेख किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या निजी लेनदार के पास बंधक या गिरवी नहीं रखा गया है तथा संपत्ति पूर्णतः भार-मुक्त है। पक्षकार इसके प्रमाणित प्रतिलिपि (Certified Copy) के आधार पर आगामी विक्रय विलेख निष्पादन की कार्यवाही कर रहे हैं। अतः इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 03 (तीन) दिवस के भीतर यदि किसी व्यक्ति, बैंक, सहकारी समिति या वित्तीय संस्थान को उक्त फार्महाउस संपत्ति, इसके मालिकाना हक, या खोए हुए मूल विक्रय पत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की आपत्ति, दावा, स्वत्व या बंधक अधिकार (Mortgage/Lien) हो, तो वे अपने साक्ष्यों सहित नीचे दिए गए चेंबर पते पर लिखित आपत्ति दर्ज कराएं। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा संपत्ति का स्वत्व पूर्णतः साफ (Clear & Marketable Title) मानकर सौदा पूर्ण कर दिया जाएगा।
Archit Dixit ADVOCATE
CHAMBER OF DIXIT & WADHWANI
Registry On Door, 1st Floor, Opposite DPS School, Neelbad, Bhopal, MP
MOB.8319592655
923

राजधानी के 40 क्षेत्रों में आज बिजली कटौती

रखरखाव कार्य के चलते दो से छह घंटे तक बाधित रहेगी विद्युत आपूर्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के करीब 40 क्षेत्रों में मंगलवार को विद्युत कंपनी द्वारा रखरखाव कार्य किए जाने के कारण दो से छह घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में दानिशकुंज, निशातपुरा, गौतम नगर, मालवीय नगर, नारियलखेड़ा, शारदा नगर, फिरदोश नगर, मक्सी, कस्तूरी विहार और फाइन कैम्पस सहित कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। विद्युत कंपनी ने उपभोक्ताओं से आवश्यक कार्य पहले ही पूरा कर लेने की अपील की है।

सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक अमृत होम्स कॉलोनी, फ्लावर सिटी, प्रियदर्शनी तथा आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।

सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक वेस्टर्न कोर्टयार्ड कॉलोनी, दानिशकुंज-एक एवं दो, फाइन कैम्पस, हरे कृष्ण होम्स, निशातपुरा, श्री नगर, शारदा नगर, नारियलखेड़ा, पीजीबीटी मार्ग, गौतम नगर, फिरदोश नगर, शीतला नगर, संत कंवर राम कॉलोनी, बृज विहार कॉलोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

सुबह 10 से शाम चार बजे तक राजीव नगर बी और सी सेक्टर, टेक्नोलॉजी पार्क, सागर इवेन्यू, इंडस पार्क, भवानी धाम फेस-एक एवं दो, सुनीता टॉवर, संतोषी विहार, नरेला शंकरी तथा आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।

सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक मालवीय नगर, मक्सी, बागली, मेकर रिगालिया, अमलतास गोल्ड, कस्तूरी विहार, पॉम विष्ठा कॉलोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं दोपहर एक से तीन बजे तक आजाद नगर, रविदास कॉलोनी तथा आसपास के क्षेत्रों में भी बिजली बंद रहेगी। विद्युत कंपनी ने बताया कि रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

भारत टेक्स-2026 में निवेशकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 से 17 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स-2026 में देश-विदेश के प्रमुख वस्त्र निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और वैश्विक ब्रांडों से संवाद करेंगे। इस दौरान एकल उद्योग बैठकों, गोलमेज चर्चा, समझौता ज्ञापनों और निवेशक संवाद के माध्यम से प्रदेश में वस्त्र, परिधान तथा जूता उद्योग में नए निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। भारत टेक्स-2026 में मप्र का विशेष प्रदर्श कक्ष राज्य की उद्योग हितैषी नीतियों, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कौशल विकास, पीएम मित्र पार्क तथा वस्त्र क्षेत्र की संपूर्ण औद्योगिक श्रृंखला को वैश्विक उद्योग जगत के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति
सिलवानी, जिला रायसेन
क्र./मंडी/निर्माण/2026-27/162 सिलवानी, दिनांक 13.07.2026
द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना
कृषि उपज मण्डी समिति **सिलवानी 'घ' श्रेणी** मंडी द्वारा ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) के तहत तौल कांटा की स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर निविदा सिस्टम **क्रमांक 2026_MPSAM_521100_1** के अन्तर्गत **ऑनलाइन निविदायें दिनांक 15.07.2026 को 11:30 बजे से दिनांक 29.07.2026 को शाम 5:30 बजे तक** आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल **www.mpmandiboard.gov.in** पर भी अवलोकनीय होगी।
नोट :- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।
सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
सिलवानी, जिला-रायसेन
भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मण्डी समिति
सिलवानी, जिला-रायसेन
म.प्र. माध्यम/126851/2026